

हम बाल विवाह को रोकेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो बाल विवाह में शामिल सभी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं।

आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं



हम तो मेहमान हैं



हम तो फोटोग्राफर/नाई हैं



हम तो हलवाई हैं



हम तो धर्मगुरु हैं

बाल विवाह के अपराध के लिए दंड/सजा-

- 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01.00 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
- लेकिन महिलाओं को केवल जुर्माने से ही दण्डित किया जाएगा।

बाल विवाह  
मुक्त राजस्थान



CHILD MARRIAGE  
STOP



बचपन को खेलने दो,  
सपनों को उड़ने दो

बाल विवाह की सूचना तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, नजदीकी पुलिस थाने को या हेल्पलाइन 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112, 181 पर दें।

unicef  
for every child



CHILD RESOURCE CENTRE

बाल सन्दर्भ केंद्र

हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान - 302017

वेबसाइट : [www.crc-hcmripa.in](http://www.crc-hcmripa.in)

ई-मेल : [crc.hcmripa@rajasthan.gov.in](mailto:crc.hcmripa@rajasthan.gov.in)

दूरभाष नंबर : 0141- 2706556, 2706256, 2715219


बाल विवाह  
मुक्त राजस्थान

बाल विवाह : एक अभिशाप



न 21 वर्ष से कम का दूल्हा सही  
न 18 वर्ष से कम की दुल्हन !

(बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का  
निर्मम उल्लंघन है)



कम उम्र में शादी रोकें,  
बचपन की बर्बादी रोकें।

